13.20 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

FALL IN PRICES OF COTTON IN PUNJAB, HARYANA AND RAJASTHAN

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं । पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रुई के दामों में भारी गिरावट आ गई है । सौ रुपये क्विंटल दाम कम हो गए हैं, इस तरह के समाचार प्राप्त हुए हैं । जो किसान रुई पैदा करते हैं उनके सामने एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है । आश्चर्य की बात यह है कि काटन कारपोरेशन आफ इन्डिया जिसका काम है रुई पैदा करने वाले किसानों की मदद करना वह इन प्रदेशों में कहीं भी बाजार में रुई की खरीद नहीं कर रहा है । एक ओर महाराष्ट्र में काटन कारपोरेशन मोनोपोली परचेज पर जोर दे रहा है, महाराष्ट्र में किसानों को इजाजत नहीं है कि वे कारपोरेशन के अलावा और कहीं अपनी रुई बेच सकें लेकिन इन प्रदेशों में किसान रुई लेकर मारा मारा बाजार में फिर रहा है और कारपोरेशन कहीं तसवीर में नहीं है । काटन कारपोरेशन को बड़े पैमाने पर यहां भी उचित कीमत पर रुई खरीदने के लिए बाजार में आना चाहिये —

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : मध्य प्रदेश में भी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसको भी जोड़ ले मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं मध्य प्रदेश से आता हूं । मैं चाहता हूं कि इस पर मंत्री महोदय बयान दें ।

पंजाब के हजारों किसान दिल्ली आए हैं । उनके प्रतिनिधि मंत्री महोदय से मिल रहे हैं । किसानों के साथ हम इस तरह का व्यवहार करें और फिर हम आशा करें कि काटन की पैदावार वे बढ़ाएंगे और हम विदेशों से काटन मंगाना बन्द कर देंगे तो यह आशा कभी भी पूरी नहीं होगी । मैं चाहता हूं मंत्री महोदय सदन को विश्वास में लें । जिन राज्यों में काटन के दाम गिर रहे हैं उन राज्यों में काटन कारपोरेशन काटन खरीदने के लिए बाजार में क्यों नहीं आ रहा है ? आप आदेश दें कि सरकार इनके बारे में बयान दे और काटन कारपोरेशन बाजार में जा कर किसानों को बरबाद होने से बचाए ।

MR. SPEAKER: I will ask the Minister to make a statement in this regard.

13.25 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up the Bill further to amend the Navy Act, 1957, as passed by Rajya Sabha. Mr. Patnaik.